संख्या– / XXVii(7)02 / 2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादून: दिनांक 07 मार्च, 2019**

विषयः **राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का पुनर्निर्धारण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–248 / XXVII(7) / 02 / 2016 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, राजकीय विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के ऐसे कार्मिकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2019 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन के 9% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 12% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त कर्मियों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक (सेवानिवृत्त एवं 06 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नगद भुगतान) की बढ़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी तथा माह अप्रैल, 2019 का वेतन, जो माह मई, 2019 में देय होगा से नकद भुगतान किया जायेगा। अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10% पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

3. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत लागू रहेंगे।

4. उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्तवत् स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

कमशः.........2

संख्या– 77 (1)/XXVII(7)02/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास/आवास विभाग/सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया स्वयं निर्णय लेने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर/देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
11. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।